राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः– एफ3(1)जांच/परावि/जालौर/05/ 252 जयपुर,दिनांक 15-1-08

आदेश

श्रीमती दाखूदेवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल, पंचायत समिति आहोर जिला जालौर के विरूद्ध आगनबाडी भवन निर्माण, अपना गांव अपना काम योजना, उपस्वास्थ्य भवन,फर्जी मस्टरोल आदि अनियमितता करने की शिकायत की प्राथमिक जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर से करवाई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 22(2) के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण चाहा गया। आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया जाकर आरोपो का खण्डन किया गया।

आरोपी सरपंच द्वारा आरोपो का खण्डन किये जाने के उपरान्त प्रकरण की विस्तृत जांच करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उक्त सरपच के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित पाये गये है तथा कुल अन्तर राशि 98439/– रूपये वसूली योग्य है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो को ध्यान में रखतें हुऐ राज्य सरकार द्वारा आरोपी पूर्व सरपंच के विरूद्ध परिनिर्णय लेखबद्ध किये जाने एवं निकाली गई राशि 98439/– मय दण्डनीय ब्याज के वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी कम में आरोपी सरपच को परिनिर्णय लेखबद्ध किये जाने से पूर्व धारा 38(3) के तहत नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण चाहा गया। जिसके जवाब में आरोपी सरपच द्वारा आरोपो का पुनः खण्डन किया गया।

राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का अवलोकन/ विवेचन किये जाने के उपरान्त श्रीमती दाखूदेवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल, पंचायत समिति आहोर जिला जालौर के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ एतद द्वारा परिनिर्णय लेखबद्ध किये जाने एवं वसूली योग्य निकाली राशि 98439/– मय दण्डनीय ब्याज सहित वसूल किये जाने के आदेश प्रदान करती है।

राज्य सरकार की आज्ञा से

(खेमराज)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि राजपत्र के आगामी अंक के भाग 6(ग) में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
5. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर।
7. सम्पादक, राजस्थान विकास, मुख्यालय,
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति आहोर जिला जालौर।
9. श्रीमती दाखुदेवी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल, पंचायत समिति आहोर जिला जालौर।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव (जांच)